



कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन विभाग) जिला-दमोह (म.प्र.)

क्रमांक 912/लो.से.प्र./2018

दमोह, दिनांक 10 अप्रैल 2018

सूचना

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यालय सहायक के संविदा पद की पूर्ति के लिए निर्धारित तिथि दिनांक 28.03.2018 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति द्वारा परीक्षण कर पात्र / अपात्र अभ्यर्थियों की सूची सह अंतरिम मैरिट सूची जारी की गई है, जिसे अवलोकन हेतु कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दिया गया है तथा इस कार्यालय में भी सूची का अवलोकन किया जा सकता है।

उक्त अंतरिम सूची में दर्ज विवरण पर किसी भी प्रकार की आपत्ति / दावा / अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो संबंधित आवेदक दावा / आपत्ति / अभ्यावेदन लिखित रूप में दिनांक 16.04.2018 तक कार्यालयीन समय में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले दावे / आपत्तियां / अभ्यावेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर

जिला- दमोह

दमोह, दिनांक 10 अप्रैल 2018

पृ. क्रमांक 912/लो.से.प्र./2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, सागर संभाग, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईजी दमोह की ओर उक्त सूचना जिले की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, दमोह की ओर उक्त सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।
7. जिला नाजिर, कलेक्ट्रेट, दमोह की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। पात्र / अपात्र अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिसे कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. अधिक जानकारी हेतु जिला प्रबंधन (लोक सेवा) से मो. नं. 7747898023 पर संपर्क किया जा सकता है।

अपर कलेक्टर

जिला- दमोह